

प्रेषक,

मौ० वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/

मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,

30प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक/0 अक्टूबर, 2023

विषय:राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत फिरोजाबाद में सीनियर केयर सेन्टर की परियोजना हेतु निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में। महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-34/2023/1858/नौ-9-2023-01-ई-1736687, दिनांक 06.09.2023 द्वारा फिरोजाबाद में सीनियर केयर सेन्टर की परियोजना हेतु कुल लागत धनराशि रू० 236.74 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू० 118.37 लाख कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, 30प्र० लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1541/106/SSCM/2021-22, दिनांक-25.09.2023 के माध्यम से वित्त विभाग के संशोधित कार्यालय जाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 के प्राविधानानुसार फिरोजाबाद में सीनियर केयर सेन्टर की परियोजना हेतु निर्गत प्रथम किश्त की शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत फिरोजाबाद में सीनियर केयर सेन्टर की परियोजना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष 50 प्रतिशत की कुल धनराशि रू० 118.37 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठारह लाख सैंतीस हजार मात्र) निर्गत निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, 30प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, फिरोजाबाद को अंतरित/व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च 2024 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (3) उक्त शासनादेश संख्या-34/2023/1858/नौ-9-2023-01-ई-1736687, दिनांक 06.09.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

I/404569/2023

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,18,37,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठारह लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 के लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by मोहम्मद वासिफ

(मो0 वासिफ) Date: 10/10/2023 18:14:28

Reason: Approved
अनु सचिव।संख्या-2069(1)/नौ-9-2023-002-ई-1736687, तददिनांकप्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, आगरा।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/नगर आयुक्त, फिरोजाबाद।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर/सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)

अनु सचिव।